सं० ओ०वि०/अम्बाला/37-87/22236.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० 1. उपायुक्त, अम्बाला, 2. प्रशासक, नगरपालिका, अम्बाला शहर, के श्रमिक श्री अजैब राम, पुत्र श्री मामराज, मकान नं० 2243/2, नजदीक हरि पैलेस, अम्बाला शहर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री अजैब राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनाँक 12 मई, 1987

सं० ओ० वि०/गुड़गांव/14-87/18264.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० इण्डो स्विस टाईम लि० डुण्डाहेड़ा, गुड़गांव के श्रमिक श्री जगदीश राम, पुत्र श्री झण्डू राम मार्फत श्री राव पृथ्वी सिंह यादव, लेबर ला एडवाईजर, शांति नगर निकट नैशनल हाई वे नं० 8 गुड़गांव तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामलें में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम/68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245 दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याययनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री जगदीश राम श्रमिक कार्य से स्वयं गैरहाजिर है या उस की सेवाओं की समाप्ति प्रबन्धकों द्वारा की गई है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फ़लस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/गुड़गांव/24-87/18271.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० इण्डो स्विस टाईम लि०, डुण्डाहेड़ा, गुड़गांव के श्रमिक श्री चोहल सिंह, पुत्र श्री गोपी सिंह मार्फत श्री राव पृथ्वी सिंह यादव, लेबर ला एडवाईजर, शान्ति नगर, निकट नैशनल हाई वे नं 8, गुड़गांव तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3 श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245 दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री चोहल सिंह श्रमिक कार्य से स्वयं गैरहाजिर है या उस की सेवाओं की समाप्ति प्रबन्धकों द्वारा की गई है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फल स्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/गुड़गांव/7-87/18279.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० इण्डो स्विस टाईम लि० डुण्डाहेड़ा, गुड़गांव के श्रमिक श्री गजराज सिंह, पुत्र श्री धर्म सिंह मार्फत श्री राव पृथ्वी सिंह यादव, लेबर ला एडवाईजर, शान्ति नगर निकट नैशनल हाई वे नं० 8, गुड़गांव तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री गज राज सिंह श्रमिक कार्य से स्वयं गैरहाजिर है या उसकी सेवाओं की समाप्ति प्रबन्धकों द्वारा की गई है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?